6

## हिमाचल प्रदेश सरकार वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2013 Order

Dated Shimla-171002, the

Sub: Diversion of 4.0571 hectares of forest land in favour of HPPWD for the construction of Devtan-Kalna-Tanseri-Kakhrola and Bautuna (Km. 0/00 to 8/00), within the jurisdiction of Rampur Forest Division Distt. Shimla, HP.

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अर्न्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 9-HPB258/2010-CHA दिनांक 23.07.13 के परिणामस्वरुप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 4.0571 hectare वन भूमि को Executive Engineer, Rampur Division (B&R), Rampur, Distt. Shimla, को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्ते पूरी करने पर प्रदान की जाती है। वन भूमि की विधिक परिस्थित बदली नही जाएगी।

प्रस्ताव के अनुसार कोई वृक्ष बाधक नहीं है अतः कोई भी वक्ष काटा नहीं जायेगा।

प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार Childri Rampur Range में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रुपये 10,37,820/—( दस लाख सैंतीस हजार आठ सौ बीस मात्र) की राशि से कुल 8.00 हैक्टेयर वन भूमि में पौधे लगाकिर किया जायेगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।

No labour camp shall be established on the forest land.

The User Agency shall provide alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.

The user agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the flora and fauna available in the area.

वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।

भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मन्त्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा—निर्देश संख्या 11—48/2002 – FC दिनांक 29/30 अप्रैल-2005, 5-3/2007-FC दिनांक 17 जनवरी 2011 तथा अन्य जारी दिशा—निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

यदि कोई अन्य संबंधित / अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमित लेना / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थिगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

SIFCA

APCEF (FCA)

919 91. 1110112

आदेश अनुसार अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2

Endst. NoFFE-B-F(2)-3/2013 (FCA)

Dated, Shimla-171001 the,...9 - 9 - 13

Copy is forwarded to :-

Assistant Inspector General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110510.

- Additional PCCF (Central), Regional Office, Govt. of India, Ministry of Environment 2. and Forests, Bays No.24-25, Sector-31 -A, Chandigarh-160030.
- 3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
- The Nodal Officer -cum- Addl. Pr. CCF (FCA), Forest Department, Himachal Pradesh, Shimla-171001
- 5. The Deputy Commissioner, Shimla, Distt, Shimla, Himachal Pradesh. Executive Engineer, Rampur Division (B&R), Rampur, Distt. Shimla. HP... 2
  - CCF, Rampur /DFO, Rampur Forest Division, Distt. Shimla, H.P.

Guard File.

Under Secretary (Forests) to the Govt. of Himachal Pradesh.